



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 154-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024 (ASVINA 17, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 अक्टूबर, 2024

संख्या 31/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 86/जीएसटी-2, दिनांक 18 सितंबर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 86/जीएसटी-2, दिनांक 18 सितंबर, 2018 में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात् और प्रथम परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जो अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति से, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अन्तर्गत आने वाले, धातु स्क्रैप का प्रदाय प्राप्त करता है:”;

(ii) तृतीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात, इस अधिसूचना के खंड (घ) को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन, विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर लागू नहीं होगी।”।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th October, 2024

No. 31/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section-1, read with section 51 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 86/GST-2, dated the 18th September, 2018, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 86/GST-2, dated the 18th September, 2018,-

(i) after clause (c) and before the first proviso, the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) any registered person receiving supplies of metal scrap falling under Chapters 72 to 81 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), from other registered person”;

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both, which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, except the person referred to in clause (d) of this notification.”.

2. This notification shall come into force on the 10th October, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.